राजस्थान–सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)
द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

phone no.: 0141-2740252
email:pd.rghs@rajasthan.gov.in
website: https://www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ. (385) / मेडि / 81 / मेडिक्लेम पॉलिसी / 2020–21 / 1127 दिनांकः 17-06-2022

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

विषयः राजमेडिक्लेम के दावों के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

राज्य कर्मी जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 एवं उसके पश्चात हुई है, पूर्व में उनके इन्डोर / डे–केयर उपचार पर किये गये व्यय का पुनर्भरण एसआईपीएफ पोर्टल पर उनके द्वारा ऑन–लाईन प्रस्तुत दावों के माध्यम से किया जाता था।

दिनांक 01.07.2021 से पुरानी राजमेडिक्लेम योजना के स्थान पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शुभारम्भ कर दिया गया था।

पुरानी राजमेडिक्लेम योजना के दावे अभी भी आहरण एवं वितरण अधिकारी और कस्टमर के स्तर पर बडी संख्या में लम्बित है। इन दावों में कमी या दस्तावेजों की पूर्ति के लिए टीपीए और राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि के जिला कार्यालय ने इन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी को लौटाया था, जिन पर उनके द्वारा लम्बे समय से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों ने इन दावों में बहुत से दावों को कस्टमर को भी लौटा दिया था, इन पर भी लम्बे समय से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके कारण दोनों ही स्तर (आहरण एवं वितरण अधिकारी और कस्टमर) पर बडी संख्या में दावे अभी भी निस्तारण की प्रतीक्षा में है।

अतः 01.10.2021 से पूर्व के राजमेडिक्लेम योजना के वे दावे जो आहरण एवं वितरण अधिकारी और कस्टमर के स्तर पर लम्बित है उनमें आक्षेपों की पूर्ति करवा कर यह पत्र जारी करने की दिनांक से एक माह के भीतर अग्रेषित करें और आपके अधीन कार्मिक, जिनके दावे उनके स्वयं (कस्टमर) के स्तर पर लम्बित है उनसे भी आक्षेपों की पूर्ति करवाते हुए अग्रेषित करावें। ऐसे समस्त दावों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए अग्रेषित न किये जाने पर 15 जुलाई, 2022 के बाद इसी आधार पर इन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

(सुरभि भार्गव)
परियोजना निदेशक, (RGHS)
वित्त भवन, जयपुर

office copy

क्रमांकः एफ. (385) / मेडि / 81 / मेडिक्लेम पॉलिसी / 2020–21 / 1128–1133 दिनांकः 17-06-2022

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु

(1.) समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त / अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, सम्भाग ....

(2.) समस्त संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, जिला .... को प्रेषित कर लेख है कि उनके जिले में सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पत्र की यह सूचना प्रसारित करवाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(3.) निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

(4.) अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र का प्रथम पृष्ठ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(5.) श्री पीयूष गुप्ता, केपीएमजी टीम लीडर को पत्र के प्रथम पृष्ठ को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(6.) रक्षित पत्रावली।

(सुरभि भार्गव)
परियोजना निदेशक, (RGHS)
वित्त भवन, जयपुर

office copy